प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 22.11.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 792/26 धारा 103(1) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 चाकु बरामद।



संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.11.26 को श्री महेशपाल पुत्र रंजीत निवासी ग्राम सरूरपुरकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने थाना कोतवाली बागपत पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त छोटू उर्फ लोकेन्द्र निवासी जीतवान पट्टी सरूरपुरकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी के पुत्र कपिल उम्र 25 वर्ष के ऊपर चाकू से 3 वार किये जिससे वादी के पुत्र कपिल की अस्पताल में मृत्यु हो गयी, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 792/26 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना कोतवाली बागपत के मु0अ0सं0 792/26 धारा 103(1) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 चाकु बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

छोटू उर्फ लोकेन्द्र निवासी जीतवान पट्टी सरुरपुरकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- घटना मे प्रयुक्त 01 चाकु बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2.उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3.है0का0 415 रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4.का0 129 दुष्यन्त कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
5.चालक का0 अमित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना रमाला साइबर टीम , जनपद बागपत

नवम्बर- 2026

थाना रमाला साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा माह नवम्बर-2026 में आवेदक/पीड़ित से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि कुल – 15,300/- रूपये वापस कराये गये–



आवेदक/ पीड़ित श्री साजिद अली पुत्र शेरदीन निवासी हसनपुर जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन 15,300 रुपये की धोखाधड़ी कर ली गयी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने NCRP पोर्टल पर दर्ज करायी, जिसका ACK. N0- 331111250171667 है, शिकायत प्राप्त होने पर थाना रमाला साइबर टीम द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी। पीडित के बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी की धनराशि 15,300 रुपयों को वापस कराया गया।

आवेदक/पीड़ित के द्वारा रुपये वापस मिलने पर थाना रमाला पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	नाम थाना	प्रा0पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	रमाला	331111250171667	15,300 रुपये

आवेदक/पीडित को रुपये वापस कराने वाली टीम:-

1-उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-रि0का0 493 धीरेन्द्र इंदौलिया थाना रमाला जनपद बागपत।

3- म0का0 03 कविता थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना रमाला दिनाँक 22.11.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 264/26 धारा 352/109(1)/115(2)/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पेंचकस बरामद।



संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 22.11.2026 को वादी श्री राजीव पुत्र दरयाव नि0 ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत बाबत अभियुक्त मोनू (उम्र 19 वर्ष) पुत्र संजय नि0 लिसाड़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा वादी के भाई योगेश के साथ गाली गलोच करना व पेंचकस से वादी के भाई योगेश के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला करना जिससे वादी के भाई का घायल हो जाना को जनता की मदद से पकड़कर थाने लाया गया। थाना रमाला पुलिस द्वारा अभियुक्त मोनू (उम्र 19 वर्ष) उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 264/26 धारा 352/109(1)/115(2)/351(3)बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अभियुक्त मोनू (उम्र 19 वर्ष) पुत्र संजय निवासी लिसाड़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक पेंचकस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है0का0 371 ललित थाना रमाला जनपद बागपत।

2-हो0गा0 512 रोशनलाल थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेसनोट जनपद बागपत दिनांक 22-11-2026

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में पिछले 24 घंटे के दौरान वांछित/चोरों एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत बागपत पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही निम्नवत् है-

वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी(कुल 02 अभियुक्त)-

1-थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना कोतवाली बागपत के मु0अ0सं0 792/26 धारा 103(1) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 चाकु बरामद हुआ है।

2-थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 264/26 धारा 352/109(1)/115(2)/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पेंचकस बरामद।

साइबर ठगी के रूपये वापस

थाना रमाला साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा माह नवम्बर-2026 में आवेदक/पीड़ित से ऑनलाइन धोखाधड़ी की धनराशि कुल – 15,300/- रूपये वापस कराये गये।

वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी(कुल- 03)

1-थाना बालैनी -01

2-थाना रमाला -02

धारा 170 बीएनएसएस की कार्यवाही-(कुल 22 व्यक्ति)

1-थाना कोतवाली बागपत से 03 व्यक्ति।

2-थाना बालैनी से 08 व्यक्ति।

3-थाना दोघट से 03 व्यक्ति।

4-थाना रमाला से 03 व्यक्ति।

5-थाना छपरौली से 05 व्यक्ति ।